



म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. +91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : +91-755-2550498

प्री० वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट (PV& FT) - 2023

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : 07/06/2023	भरने की अंतिम तिथि : 21/06/2023
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 07/06/2023	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 26/06/2023
परीक्षा दिनांक व दिन	25/07/2023 से प्रारम्भ
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	रु. 200/-
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा। रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा।	
* मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12-05/2023/1-एक, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन-पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन-पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी.ऑनलाईन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
25/07/2023 से प्रारम्भ	प्रथम	प्रातः 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक(2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00- 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- दिव्यांगजन अभ्यर्थी नियम पुस्तिका की कंडिका 1.9 (ई) एवं 2.9 (ई) का अवलोकन करने के उपरांत ही पात्र होने पर सुविधा हेतु आवेदन करे।
- अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
- मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई.आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं।
- परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- परीक्षा कक्ष में डिवाईस इलेक्ट्रॉनिक यथा डिजिटल घड़ी मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्त तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. +91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : +91-755-2550498
ग्री० वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट (PV& FT) - 2023
विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम	03-10
2.	2	नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु	11-18
3.	3	म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	19-35
4.	4	परीक्षा का पाठ्यक्रम	36-44
5.	5	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	45-68
6.	प्रारूप-18	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	69

अध्याय-1

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच., स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

- 1.0 सामान्य जानकारी:- ये नियम म.प्र. शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा एवं म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा प्रकाशित पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. (PV&FT) प्रवेश नियम 2023 कहलायेंगे।
- 1.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि: बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच., पाठ्यक्रम की अवधि साठे पाँच (5½) वर्ष (इन्टर्नशिप सहित) है एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।
- 1.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें
- 1.2.1 बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल, द्वारा की जावेगी।
- 1.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।
 - (अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान
 - तथा
 - (ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हताकारी 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर अंक सूची प्रस्तुत करेंगे। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की अर्हताकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।
- 1.2.3 वे प्रत्याशी जो म. प्र. में स्थित किसी भी पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, उनको प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 1.3 न्यूनतम योग्यता: बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 1.4 पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण अगले पृष्ठ में दर्शाया गया है।

बी.व्ही.एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण
1. फ्री सीट

महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)						अनु.जनजाति (एस.टी.)						अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)						EWS			महा योग			
	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग		X	F	योग
जबलपुर	10	4	0	1	0	0	15	5	2	0	0	1	0	8	6	4	0	0	0	1	11	9	5	1	0	0	0	15	4	2	6	55
महू	9	5	0	0	1	0	15	5	3	0	1	0	0	9	6	3	1	0	1	0	11	8	5	0	1	0	1	15	4	1	5	55
रीवा	9	4	0	0	0	1	14	4	3	1	0	0	1	9	6	3	1	1	0	0	11	9	4	1	0	1	0	15	4	2	6	55
योग	28	13	0	1	1	1	44	14	8	1	1	1	1	26	18	10	2	1	1	1	33	26	14	2	1	1	1	45	12	5	17	165

2. पेमेंट सीट

महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)						अनु.जनजाति (एस.टी.)						अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)						EWS			महा योग			
	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग		X	F	योग
जबलपुर	4	2	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	5	2	0	2	20
महू	3	2	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0	5	1	1	2	20
रीवा	4	1	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	6	1	1	2	20
योग	11	5	0	0	0	0	16	7	3	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	0	12	11	5	0	0	0	0	16	4	2	6	60

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S = सैनिक, PH = दिव्यांग , EWS = आर्थिक रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

1.4.1. पेमेंट सीटों में प्रवेश:-

तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें पेमेंट सीट होगी। पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर पेमेंट सीट में प्रवेश दिया जायेगा। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होंगे। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें।

1.4.2. तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 15 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (VCI) नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

1.4.3. कश्मीरी प्रवासी एवं कश्मीरी पंडित/हिंदु परिवारों (अप्रवासी) कश्मीरघाटी में निवासरत के बच्चों के बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें निर्धारित होंगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें।

1.4.4. एन.आर.आई./अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें) :
बी.व्ही.एस.सी. एण्ड ए.एच. उपाधि पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें।

1.4.5. प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थिति रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेंगे।

1.6 वास्तविक निवासी की पात्रतायें : पाठ्यक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 14 में)

स्पष्टीकरण 1 : म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तों (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो अथवा उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता/माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध

अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्ष से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो।

एवं

- (ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 11 के अनुसार) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

1.7 **आयु सीमा :** प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2023 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

1.8 फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है परन्तु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी।

1.9 **आरक्षण :**

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमशः 16, 20, 27 एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान होरीजोन्टल आरक्षित रहेंगे।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा में से किन्हीं दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों/छात्राओं के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों।

(2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)

(स) सभी वर्गों के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा।

(द) भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों/भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पुत्र एवं पुत्रियों/ आश्रितों के लिए पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत स्थान होरीजोन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित होंगे एवं उपरोक्त होरीजोन्टल आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग-अ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 भाग-स में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)। उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-11 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2023 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)

टिप्पणी :- सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा:-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा/ उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से निःशक्त कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के आश्रित।
5. निम्न लिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. के प्राप्तांक के आधार पर क्रमांक 1 से 7 तक प्रत्येक प्राथमिकता क्रम में प्रावीण्य सूची तैयार होगी एवं प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक क्रम में मेरिट के अनुसार सीट आवंटन किया जावेगा।

(ई) पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में 03 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा एवं संबंधित उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश निम्नलिखित शारीरिक विकलांगताओं से ग्रस्त है, तो उन्हें बी.व्ही.एससी. एण्ड ए. एच. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा-

- (1) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ़ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो,
- (2) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता,
- (3) हाथों में निःशक्तता,
- (4) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है,
- (5) प्रगामी रोगों, जैसे पेशीविकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार,
- (6) ऐसी विकलांगताएं जिनसे पशु चिकित्सक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो,

विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम-से-कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(फ) सभी वर्गों के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

(व) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

○ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेगे।

- अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणियों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - (भ) आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा (प्रमाण पत्र प्रारूप- 16 में)।
 - (म) आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।
 - (न) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (प) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 1.10 प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि:**
- 1.10.1 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। मध्यप्रदेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल** द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियां बनाई जावेंगी।
- 1.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।
- (ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।
- 1.10.3 महाविद्यालयों में प्रवेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल** द्वारा पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा के मेरिट के आधार पर आनलाईन/स्पाॅट काउंसलिंग के द्वारा सीट आवंटन किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काउंसलिंग की जावेगी।
- 1.10.4 महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र अगस्त /सितम्बर 2023 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2023 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विषम परिस्थितियों/आपदा में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकता है।
- 1.10.5 पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. 2023 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता : समान कुलांक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की वरीयता का निर्धारण मध्यप्रदेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक होंगे तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।
- 1.11 **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण** : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में, प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु म.प्र. शासन, पशु पालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन पशु पालन विभाग को है। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण परामर्श (काउन्सलिंग) की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से परामर्श (काउन्सलिंग) में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किए चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।

- 1.12 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखते रहें।
- 1.13 यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/देगी।
- 1.14 यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउन्सलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।
- 1.15 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना अनिवार्य होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।
- 1.16 **शिक्षण शुल्क की जानकारी:** पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2023 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, महु एवं रीवा में साढ़े पांच (5½) वर्षीय बी.व्ही.एस.सी. एंड ए.एच पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों से निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)	
		फ्री सीट	पेमेंट सीट
1	प्रथम वर्ष	73860/-	283860/-
2	द्वितीय वर्ष	66750/-	276750/-
3	तृतीय वर्ष	66750/-	276750/-
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	95250/-	410250/-
5	पंचम वर्ष	66750/-	276750/-

छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	21000/-
2	द्वितीय वर्ष	17000/-
3	तृतीय वर्ष	17000/-
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	25500/-
5	पंचम वर्ष	17000/-

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

टीप:- विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है।

शुल्क वापसी- सत्र 2023 - 24 में बी.व्ही. एससी. एण्ड ए.एच. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

स.क्रं.	शुल्क वापसी का प्रतिशत *	प्रवेश निरस्त करने हेतु महाविद्यालय में सूचना देने की समय सीमा
1	100 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना से 15 दिवस पूर्व
2	80 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक नहीं
3	50 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक परंतु 30 दिवस से कम
4	00 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 30 दिन से अधिक

* कांसनमनी एवं सुरक्षा निधि छोड़कर
क्रमांक 01 हेतु प्रोसिस शुल्क 10 प्रतिशत देय होगा।

प्रमुख सचिव,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

अध्याय-2

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में वर्ष 2023-24 में बी.एफ. एससी. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम:-

2. सामान्य जानकारी - ये नियम मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के द्वारा म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल हेतु पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. प्रवेश नियम 2023 (PV&FT) कहलायेंगे।
- 2.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि :
मत्स्य विज्ञान स्नातक (B.F.Sc.) पाठ्यक्रम की अवधि चार (4) वर्ष है एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।
- 2.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें :
 - 2.2.1 मत्स्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे, जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा की जावेगी।
 - 2.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा संचालित (10+2) पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।
 - (अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा
 - (ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 2.2.3 वे प्रत्याशी जो मध्यप्रदेश में स्थित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, उनको प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 2.3 न्यूनतम योग्यता: मत्स्य विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना होगा एवं इन विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 2.4 मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण अगले पृष्ठ में दर्शाया गया है:-

मत्स्य विज्ञान स्नातक (B.F.Sc.) पाठ्यक्रम की सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

1. Yh I hV

महाविद्यालय	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS		महा योग
	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	7	3	0	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	7	6	3	0	0	0	0	9	2	1	34

2. ied/ I hV

महाविद्यालय	अनारक्षित (यू.आर.)							अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							EWS		महा योग
	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	8

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S = सैनिक, PH = दिव्यांग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ।

2.4.1. पेमेंट सीटों में प्रवेश:-

तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीटें पेमेंट सीट होगी। पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर पेमेंट सीट में प्रवेश दिया जायेगा। पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। आरक्षित वर्ग के सीटों में प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जावेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को केवल अनारक्षित वर्ग के सीटों में ही प्रवेश के पात्र होंगे। काउंसलिंग के समय पेमेंट सीट में प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें।

2.4.2. मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

2.4.3. कश्मीरी प्रवासी एवं कश्मीरी पंडित/हिंदु परिवारों (अप्रवासी) कश्मीरघाटी में निवासरत के बच्चों के बी.एफ.एस.सी. उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मत्स्य विज्ञानमहाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें निर्धारित होंगी (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें)।

2.4.4 एन.आर.आई./अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु (आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें) :

मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी। आवेदन पत्र, सीटें एवं विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखें।

2.4.5 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है तो उसकी आवंटित सीट के लिये सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेंगे।

2.6 वास्तविक निवासी की पात्रतायें : पाठ्यक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 14 में)

स्पष्टीकरण 1: म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तों (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो अथवा उम्मीदवार स्वयं

अथवा उसका पिता/माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्ष से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो।

एवं

(ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 11 के अनुसार) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.7 **आयु सीमा:** प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु 31 दिसम्बर 2023 को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

2.8 फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है परन्तु पेमेंट सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी।

2.9 **आरक्षण:**

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमशः 16, 20, 27 एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान होरिजेन्टल आरक्षित रहेंगे।

(1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा में से किन्हीं दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों

(2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 15 में)

(स) सभी वर्गों के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत (प्रमाण-पत्र प्रारूप 5 में) होरिजेन्टल आरक्षण रहेगा।

(द) भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों/भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पुत्र एवं पुत्रियों/ आश्रितों के लिए मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत स्थान होरिजेन्टल आरक्षण के तहत आरक्षित होंगे एवं उपरोक्त होरिजेन्टल आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं

होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग-अ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण -पत्र प्रारूप-3 भाग-स में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)। उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-11 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2023 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग-ब में)

टिप्पणी :- सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा:-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा/ उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से निःशक्त कार्यरत एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के आश्रित।
 5. निम्न लिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित:
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल।
 6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. के प्राप्तांक के आधार पर क्रमांक 1 से 7 तक प्रत्येक प्राथमिकता क्रम में प्रवीण सूची तैयार होगी एवं प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक क्रम में मेरिट के अनुसार सीट आवंटन किया जावेगा।

(ई) मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में 03 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में दिव्यांग प्रत्याशियों हेतु होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा एवं संबंधित उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश निम्नलिखित शारीरिक विकलांगताओं से ग्रस्त है, तो उन्हें बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- (1) समूची देह की निःशक्तता, जिसमें वक्ष/रीढ़ की 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता शामिल हो,
- (2) पैरों में 50 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता,
- (3) हाथों में निःशक्तता,
- (4) नेत्रहीन उम्मीदवार और वे उम्मीदवार जिकी श्रवण शक्ति कमजोर है,
- (5) प्रगामी रोगों, जैसे पेशीविकृति, इत्यादि से ग्रस्त उम्मीदवार,
- (6) ऐसी विकलांगताएं जिनसे मत्स्य विज्ञान स्नातक के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती हो।

विकलांगता को विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होगा, जिसमें कम-से-कम तीन विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए और जिनमें से दो संबंधित विकलांगता विशेषज्ञ होने चाहिए। उम्मीदवार को स्वयं मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। विकलांग उम्मीदवार का मेडिकल बोर्ड से मिलने वाला अंतिम वैध विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से कम-से-कम तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(फ) सभी वर्गों के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

(व) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी

- श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जाति श्रेणी के बिना वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति श्रेणियों के बिना वर्ग के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों अन्य पिछड़ा वर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
 - इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के आरक्षित रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के बिना वर्ग अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- (भ) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग हेतु 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी, जिसमें प्रवेश मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार किया जावेगा (प्रमाण पत्र प्रारूप- 16 में)।
- (म) आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।
- (न) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (प) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- 2.10 प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :**
- 2.10.1 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। मध्यप्रदेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियाँ बनाई जावेंगी।
- 2.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत् उतना रिक्त माना जावेगा परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।
- (ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेंगी।
- 2.10.3 महाविद्यालय में प्रवेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल** द्वारा पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा के मेरिट के आधार पर आनलाईन/स्पॉट काउंसलिंग के द्वारा सीट आवंटन किया जावेगा। सभी सीटों पर प्रवेश हेतु वि.वि. द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काउन्सिलिंग की जावेगी।
- 2.10.4 महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र अगस्त /सितम्बर 2023 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2023 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विषम परिस्थितियों/आपदा में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकता है।
- 2.10.5 पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2023 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता : समान कुलांक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की वरियता का निर्धारण मध्यप्रदेश **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक हों तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।
- 2.11 **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण** : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रवेश दी गई संस्था में प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा असत्य/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छिपाकर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा **म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल** द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटारे हेतु मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग

सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को हैं। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- 2.12 विश्वविद्यालय काउन्सलिंग हेतु विज्ञापन जारी करेगा और प्रवेश के लिए पृथक रूप से या व्यक्तिशः आवेदन नहीं मंगाएगा। तत्संबंध में विश्वविद्यालय निहित प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन काउन्सलिंग की जानकारी एवं नियम हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ndvsu.org देखते रहें।
- 2.13 यदि कोई अभ्यर्थी परामर्श (काउन्सलिंग) हेतु शामिल होने में असफल रहता है या निहित प्रारूप में सुसंगत मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह स्थान तथा संस्था में चयन का अपना दावा खो देगा/ देगी।
- 2.14 यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु दस्तावेज सत्यापन/स्पॉट काउन्सलिंग की तारीख पर स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी किये चिकित्सा प्रमाणपत्र फोटो के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें। यदि बाद में यह पाया गया कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने योग्य होगा।
- 2.15 सफल अभ्यर्थियों को परामर्श (काउन्सलिंग) के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस जमा करना होगी। फीस, आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि तक जमा करनी होगी।
- 2.16 **शिक्षण शुल्क की जानकारी:** पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2023 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में चार वर्षीय बी.एफ.एस.सी.पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों को निम्नानुसार वर्षवार शुल्क जमा करना होगा :

फ्री सीट:-

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	52740/-	11000/-	63740/-
2	द्वितीय वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-
3	तृतीय वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-
4	चतुर्थ वर्ष	30750/-	26000/-	56750/-

पेमेंट सीट:-

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	172740/-*	11000/-	183740/-
2	द्वितीय वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-
3	तृतीय वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-
4	चतुर्थ वर्ष	90750/-	86000/-	176750/-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	12500/-	8500/-	21000/-
2	द्वितीय वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-
3	तृतीय वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-
4	चतुर्थ वर्ष	8500/-	8500/-	17000/-

विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

टीप:- विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है।

शुल्क वापसी- सत्र 2023-24 में बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

स.क्र.	शुल्क वापसी का प्रतिशत*	प्रवेश निरस्त करने हेतु महाविद्यालय में सूचना देने की समय सीमा
1	100 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना से 15 दिवस पूर्व
2	80 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक नहीं
3	50 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 15 दिवस से अधिक परंतु 30 दिवस से कम
4	00 प्रतिशत	प्रवेश के अंतिम दिवस की अधिसूचना के 30 दिन से अधिक

* कॉसिनमनी एवं सुरक्षा निधि छोड़कर
क्रमांक 01 हेतु प्रोसिस शुल्क 10 प्रतिशत देय होगा।

प्रमुख सचिव
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

अध्याय-3

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- (iii) पदों/सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे
- 3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यु.ए.डी.आई.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

3.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। आपरिहर्ष कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए |

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्ते :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट :- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर एम.पी.ई.एस.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति:-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार MPESB द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\overline{M}_i^g - M_q^g}{\overline{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\overline{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\overline{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नामोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखें)

3.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि 50/- (पचास) मात्र शुल्क देय होगा।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार MPESB द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबन्ध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESB को अवगत कराया जायेगा।

MPESB द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

3.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व MPESB की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर MPESB द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट MPESB की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी MPESB की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

3.13 परीक्षा परिणाम :-

- (i) अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.14 म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार MPESB का होगा।
- (ii) MPESB अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं MPESB द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख MPESB द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

3.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-18** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.17 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-18** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (iv) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।
- (vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

3.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.19 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक / आधार VID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है। इसके उपयोग से
 1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू में MPESB द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैंकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर MPESB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

3.24

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.26 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा “हाँ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हाँ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण MPESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में MPESB द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.28 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.29 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.30 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESB की E-mail ID complain.peb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

3.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
07/06/2023	21/06/2023	15	07/06/2023	26/06/2023	20

3.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
25/07/2023 से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक(2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00- 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

3.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-
* मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12-05/2023/1-एक, भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भराए जाने वाले आवेदन-पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा का आवेदन-पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मण्डल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एम.पी.ऑनलाईन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।					

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

3.35 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में पी ई बी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरों/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5. उज्जैन	6. सतना	7. सागर	8. रतलाम
9. नीमच			

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.36

- (i) अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है
- (iv) MPESB की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) MPESB कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) MPESB की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान MPESB के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

अध्याय-4
iB; Øe (SYLLABUS)
(A) BIOLOGY

1. Botany

Diversity in Living Organisms: Tools for study of Taxonomy – Museum, Zoos, Herbaria, Botanical Garden.

Biological classification: Five Kingdom classification, Binomial nomenclature, External morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus. Salient features and classification of Monera, Protista, Fungi, plants and animals into major groups. Lichens, Viruses and viroids.

Classification of plants into major groups- Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae and Angiospermae.

Difference between Prokaryote and Eukaryotes; Structure, reproduction and economic importance of Mycoplasma, Bacteriophage, Bacteria and Cyanobacteria.

Structural organization of cell: Cell theory, Light and Electron Microscopic view of cell (plant and animal), Structure and functions of cell organelles- Nucleus, Mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, microbodies, microfilaments, Ribosome, Centrioles and Vacuoles, Plastid, Eukaryotic Chromosome (Morphology), cell and plasma membrane; difference between plant and animal cell, cell division, cell cycle, significance of mitosis and meiosis.

Biomolecules: Structure, function, chemical nature, mode of action and importance of carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, enzymes and growth hormones with reference to their classification.

Reproduction in Plants: Asexual and Sexual- Binary fission, Sporulation, budding, gemmules, fragmentation and Vegetative propagation of plant, elementary sequence of developmental process, Pollination, Apomixes, Parthenocarpy, Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis, fertilization, endosperm and embryo development in Angiosperms.

Pollination types, Out breeding devices, Pollen Pistil Interaction, Double Fertilization, Post Fertilization events, development of seed and formation of fruit.

Tissues, Anatomy and functions of different plant parts - root, stem, leaf, inflorescence (cymose and racemose), flower, fruit and seed.

Plant Physiology:

Transport in plants: Movement of water, gases and nutrients, Cell to cell transport, diffusion, facilitated diffusion, active transport; plant-water relations, imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis; long distance transport of water- absorption, apoplast, symplast, transpiration pull, root pressure and guttation; transpiration, opening and closing of stomata; uptake and translocation of mineral nutrients – transport of food, phloem transport, mass flow hypothesis; diffusion of gases.

Mineral Nutrition: Essential minerals, macro and micro nutrients and their role; deficiency symptoms; mineral toxicity; elementary idea of hydroponics as a method to study mineral nutrition; nitrogen metabolism, nitrogen cycle, biological nitrogen fixation.

Photosynthesis: Photosynthesis as a means of autotrophic nutrition, site of photosynthesis, pigments involved in photosynthesis, photochemical and biosynthetic phases of photosynthesis, cyclic and non cyclic photophosphorylation, Chemiosmotic hypothesis, Photorespiration, C₃ and C₄ pathways, factors affecting photosynthesis.

Respiration: Exchange of gases, Cellular respiration- glycolysis, fermentation (anaerobic), TCA cycle and electron transport system (aerobic); energy relations- number of ATP molecules generated, amphibolic pathways, respiratory quotient.

Plant growth and development: Seed germination, phases of plant growth and plant growth rate, conditions of growth; differentiation, dedifferentiation and redifferentiation; sequence of developmental process in a plant cell, growth regulators- auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, ABA; seed dormancy, vernalisation, photoperiodism.

Biodiversity and its conservation: Concept of Biodiversity, patterns of Biodiversity, importance of Biodiversity, loss of biodiversity, hotspots, endangered organism, extinction, Red data book, biosphere reserves, National Park and Sanctuaries.

Organisms and environment: Habitat and niche, Population and ecological adaptations, Population interactions- mutualism, competition, predation, parasitism; Population attributes- growth, birth rate, death rate and age distribution.

Environmental Issues: Agrochemicals and their effects, radioactive waste management.

Ecosystem: Patterns, components, productivity and decomposition, Energy flow, pyramids of number, biomass, energy, nutrient cycles (carbon and phosphorous), ecological succession, ecological services-carbon fixation, pollination, oxygen release.

Structures and functions of major ecosystems i.e. lake and forest, Food chain, food web, energy flow, Ecological crisis – Role of man in polluting environment (Air, Water and Soil). Biodiversity and its conservation, deforestation, Green house effect, Global warming, Ozone depletion.

Role of plants in human welfare: A general knowledge of plant products of economic value, Drugs, Fibres, Cereals; Improvement in food production, Plant breeding, Depletion, biofortification, Animal husbandry.

2. Zoology

Classification: Classification of animals non chordates up to phyla level and chordates up to class level.

Multicellularity: Structure and Function of Animal Life.

Structure and function of Animal tissues: Epithelial, Connective, Muscular, Skeletal and Nervous.

Morphology, anatomy and functions of different systems (digestive, circulatory, respiratory, nervous and reproductive) of cockroach.

Developmental Biology and Genetics: Principle of Heredity and variation, Pleiotropy elementary idea of polygenic inheritance, Mendelism, Mendel's Laws of inheritance, Incomplete dominance, Co-

dominance, Multiple alleles, Sex linked inheritance, Chromosomes, Types of chromosome, Human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination, Sexlinkage and sex linked inheritance in man, Monohybrid and dihybrid cross, lineage and crossing over of genetic material, Structure of DNA and RNA, DNA replication, genetic code, transcription, translation and gene regulation, mutation, gene mutation.

Gene expression and regulation, Lac-Operon, Genome and human genome project, DNA fingerprinting.

Human Reproduction: Female reproductive cycles in mammals, gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum, Types of eggs, Fertilization, Cleavage-types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers, foetal membrane, structure and functions, growth, repair and ageing, aminocentesis, implantation, Pregnancy and Placenta formation, Parturition and Lactation.

Development of population and environment: Human population, natality, mortality, sex ratio, population explosion; dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard of living; impact of population problems and their control

Biotechnology-Principles and Processes: Genetic Engineering (Brief idea).

Applications of biotech in health and agriculture: Human insulin, Vaccines, Gene therapy; Genetically modified organisms-Bt Crops, Transgenic Animals, Biosafety issues, Biopiracy and patents.

Strategies for Enhancement in Food Production: Improvement in varieties of wheat, rice, pulse (gram), oil seeds (Ground nut), sugarcane; Animal Husbandry, Tissue culture, Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. Industrial manufacture of Cheese, Yoghurt, Alcohol. Food preservation –methods and importance.

Microbes in Human Welfare: In household food processing, sewage treatment, energy generation, as biocontrol agents and biofertilizer, Antibiotics

Evolution: Origin of life, Biological evolution and evidences for biological evolution (paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular evidence), Darwin's contribution, Modern Synthetic theory of Evolution, Mechanism of evolution-Variation and Natural Selection with examples, Types of natural selection, Gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg's principle, Adaptive Radiation, Human evolution.

Economic Zoology: Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, Fishery and Pearl industry.

Health and Disease: Protozoan diseases in relation to man, Insect carrying diseases in relation to man, Cancer-types of cancer and cancer cell, Communicable diseases (Hepatitis, AIDS), STD, Immune Response, Vaccines and antisera, Allergies, Smoking, alcoholism and drug addiction.

Human Physiology:

Digestion and absorption: Alimentary canal and digestive glands, Role of digestive enzymes and gastrointestinal hormones, Peristalsis; Digestion, absorption and assimilation of proteins, carbohydrates and fats; Caloric value of proteins, carbohydrates and fats; Egestion; Nutritional and

digestive disorders – Protein–energy malnutrition (PEM), indigestion, constipation, vomiting, jaundice, diarrhoea.

Breathing and Respiration: Respiratory organs in animals, Respiratory system in humans, Mechanism of breathing and its regulation in humans- exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volume; Disorders related to respiration-asthma, emphysema, occupational respiratory disorders.

Body fluids and circulation: Composition of blood, blood groups, coagulation of blood; Composition of lymph and its function, Human circulatory system-Structure of human heart and blood vessels, Cardiac cycle, cardiac output, ECG, Double circulation, Regulation of cardiac activity, Disorders of circulatory system-hypertension, coronary artery disease, angina pectoris, heart failure.

Excretory products and their elimination: Modes of excretion- ammonotelism, ureotelism, uricotelism; Human excretory system-structure and function; Urine formation, Osmoregulation, Regulation of kidney function-Renin-angiotensin, Atrial Natriuretic Factor, ADH and Diabetes insipidus; Role of other organs in excretion, Disorders- uraemia, renal failure, renal calculi, nephritis; Dialysis and artificial kidney.

Locomotion and Movement: Types of movement- ciliary, flagellar, muscular; Skeletal muscle- contractile proteins and muscle contraction; Skeletal system and its functions; Joints; Disorders of muscular and skeletal system-myasthenia gravis, tetany, muscular dystrophy, arthritis, osteoporosis, gout.

Neural control and coordination: Neuron and nerves; Nervous system in humans- central nervous system, peripheral nervous system and visceral nervous system; Generation and conduction of nerve impulse; Reflex action; Sense organs; Elementary structure and functions of eye and ear.

Chemical coordination and regulation: Endocrine glands and hormones; Human endocrine system- Hypothalamus, Pituitary, Pineal, Thyroid, Parathyroid, Adrenal, Pancreas, Gonads. Mechanism of hormone action; Role of hormones as messengers and regulators, Hypo- and hyperactivity and related disorders; Dwarfism, Acromegaly, Cretinism, Goiter, Exophthalmic Goiter, Diabetes, Addison's disease.

(B) PHYSICS

Physical World and Measurement: Accuracy and precision of measuring instruments, errors in measurement, significant figures.

Units and Dimensions: Dimensional Analysis, S.I. Units,

Kinematics: Motion in straight line, Elementary concepts of differentiation and integration for describing motion, Uniformly accelerated motion, Velocity time and position time graph, Scalars and Vectors quantities, Addition and subtraction of vectors, Scalar and vector product of vectors, Resolution of a vector in plane-rectangular components, Unit Vector, Non uniform motion, Average speed and instantaneous velocity,

Laws of Motion: Equilibrium of concurrent forces, Force and inertia, Newton's law of motion, Conservation of momentum, Motion in two dimensions, Projectile motion and Uniform circular

motion, Static and Kinetic friction, Laws of friction, rolling friction, lubrication centripetal force, examples of circular motion (vehicle on a level circular road, vehicle on banked road)

Work, Energy and Power: Power, Conservative forces, Conservation of mechanical energy (kinetic and potential energies), non conservative forces, motion in a vertical circle, work energy theorem, potential energy of spring, elastic and non elastic collisions.

Gravitation: Kepler's laws of planetary motion, Universal law of gravitation, acceleration due to gravity and its variation, Gravitational potential energy and gravitational potential, Escape velocity, Orbital velocity of a satellite, Geo stationary satellites.

Motion of system particles and rigid bodies: Conservation of momentum, Centre of mass of two and multi particle system, Rigid body rotation, Moment of inertia, Theorems of perpendicular and parallel axes, Values of moment of inertia for simple geometrical objects, Moment of force, Torque, Angular momentum, Laws of conservation of Angular momentum with some examples. Equilibrium of rigid bodies, Equation of rotational motion, Comparison of linear and rotational motion, radius of gyration.

Properties of Bulk matter: Elastic behavior, Stress strain relationship, Poisson's ratio, Elastic Energy, Reynolds number, Application of surface tension idea to drops, bubbles and capillary rise; Anomalous expansion, Hooke's law, Young's modulus, Bulk modulus, shear modulus of rigidity, Viscosity, Stoke's law, terminal velocity, Streamline and turbulent flow, Critical velocity, Bernoulli's theorem and its applications, Surface energy, Surface tension, angle of contact, excess of pressure across a curved surface.

Thermodynamics: Zeroth law of thermodynamics, Heat, Internal energy, First law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic processes, Second law of thermodynamics, Heat engine and Refrigerator.

Kinetic theory of gases: Concept of pressure, kinetic energy and temperature, Law of equipartition of energy, Specific heat capacity of gases.

Thermal Properties of Matter: Heat, temperature, thermal expansion, Specific heat capacity, C_p and C_v - Calorimetry; Change of state, Heat transfer-conduction, convection and radiation; Thermal conductivity, Black body radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Oscillation and Waves: Periodic motion-time period, Frequency, displacement as a function of time, Periodic function. Force constant, Simple pendulum derivation of expression for its time period, resonance, Simple Harmonic Motion (SHM), Phase, Oscillations of spring and simple pendulum, energy in SHM; Free, forced and damped oscillations; wave motion, progressive wave equation, superposition of waves, standing waves in strings and organ pipes, Beats, Doppler effect.

Electrostatics: Electrical charge and their conservation, force between multiple charges, Electric field lines, electric dipole, electric field due to a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field, Electric flux, potential difference, equipotential surfaces, Conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor, Dielectrics and electric polarization, Combination of capacitors in series and in parallel, Coulomb's law of electrostatics, Electric field due to point charge, Gauss's theorem and its applications in simple geometrics, Electric potential due to a point charge, a dipole

and a system of charges; Dielectrics, Capacitors, Parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, Capacitors in series and parallel, energy stored in capacitor, Van de Graff generator.

Current Electricity: Flow of electric charges in a metallic conductor, Potential difference, combination of cells in series and parallel for comparing emf of two cells, measurement of internal resistance of a cell, Electric current, drift velocity, mobility, Ohm's law, electrical energy and power, Colour code for carbon resistors, temperature dependence of resistance, Internal resistance of cell, electromagnetic force, Primary and secondary cells, Kirchhoff's laws, Wheatstone bridge, Metre Bridge, Potentiometer and its applications.

Magnetic effect of current and Magnetism: Oersted's experiment, electric field, concept of magnetic field, earth magnetic field and magnetic element, torque experienced by a current loop in uniform magnetic field, Biot-Savart's law and its application to circular current carrying loop, Ampere's law and its applications for solenoid and toroid, Force on a moving charge in a magnetic field, Cyclotron, Force on a current carrying conductor, Moving coil galvanometer, Conversion to Ammeter and Voltmeter, Current loop as a magnetic dipole, magnetic dipole moment, Bohr magneton, Magnetic field intensity due to a dipole along its axis and perpendicular to its axis, neutral points, bar magnet as an equivalent solenoid, Torque on a magnetic dipole; Para, dia and ferro magnetic substances; electro magnets and permanent magnets.

Electromagnetic Induction and Alternating Currents: Electro magnetic induction, Resonance, power in AC circuits, Wattless current, Faraday's laws, Lenz's law, Eddy currents, self and mutual induction, Alternating currents, rms value of alternating current/voltage, reactance, impedance, LCR series circuits, LC oscillations, AC generator and Transformer.

Electromagnetic waves: Displacement current, Bose and Hertz experiment, Characteristics of e.m. waves, transverse nature, electromagnetic spectrum, elementary facts and their uses, propagation of electromagnetic waves, Ground waves, Sky waves, Satellite communication and Remote sensing.

Optics: Magnification power of lens, Coherent and sustained source, Reflection of light, spherical mirrors, Refraction of light, total internal reflection, Optical fibres, Refraction at spherical surface, lens maker's formula, combination of thin lenses in contact combination of lens and a mirror, refraction and dispersion of light through a prism, scattering of light- blue colour of sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset, Optical instruments, Compound microscope and Astronomical telescope, terrestrial telescope and reflecting telescope, Resolving power of microscope and telescope, Human eye, Correction of eye defects – myopia and hypermetropia.

Wave optics: Huygen's Principle, reflection and refraction of light using Huygen's Principle, Interference, Young's double slit experiment, Diffraction due to a single slit, Polarisation, Methods of production of polarised light, Law of Malus, Brewster's law, Polaroids and their applications.

Dual Nature of Matter and Radiation: Photo electric effect, Einstein's photo electric equation, Dual nature of matter and radiation, de Broglie's equation, Davisson-Germer experiment.

Atoms and Nuclei: Alpha particle scattering experiment, Rutherford's model of atom, Bohr atomic model, energy levels, hydrogen spectrum, Radio activity, Alpha, beta and gamma rays, Mass defect, binding energy per nucleon and its variation with mass number, Nuclear fusion and fission.

Conductors, insulators and semi conductors: Energy bands in solids, PN junction characteristics in forward and reverse bias, PN junction as a rectifier, I-V characteristics of LED, photo diode, solar cell and zener diode, Zener diode as a regulator, Transistor, Characteristic curves of a transistor, transistor as an amplifier, and oscillator, Logic Gates (OR, AND, NOT, NAND, and NOR).

Elementary ideas about analogue and digital communication: Elements of communication system (block diagrams only), need for modulation, amplitude and frequency modulation.

(C) CHEMISTRY

(I) General and Physical Chemistry

Some Basic concepts of Chemistry

Structure of Atom: Constitution of nucleus, Bohr's atom model, quantum numbers, Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr), de-Broglie's relationship, shapes of orbitals, Dual nature of matter and light, Heisenberg's uncertainty principle, Concept of orbital, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, Stability of half filled and completely filled orbitals.

Chemical Bond: Electrovalent, covalent and coordinate bonds, concept of hybridization, involving s,p and d orbitals and shapes of some simple molecules, hydrogen bond, shapes of molecules, Valence Shell Electron Pair Theory, bond polarity, resonance, Elements of Valence bond theory (VBT), Molecular orbital theory (MOT)

Classification of Elements and Periodicity: Modern periodic law and present form of periodic table, Periodic trends in properties of element-atomic radii, ionic radii, inert gas radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, valency.

Solution: Solubility of gases in liquids, solid solutions, relative lowering of vapour pressure, Elevation of boiling point, depression of freezing point, Osmotic pressure, Modes of expressing concentrations of solutions, types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights. Determination of molecular masses using colligative properties, Van't Hoff factor, Henry law.

Equilibrium: Handerson Equation, Chemical equilibrium, Law of mass action, K_p and K_c , Le Chatelier's principle and its application, Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts, pH, buffers.

Chemical Kinetics: Order and molecularity of a reaction, Activation energy, Rate of reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, Collision theory, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenius equation.

Chemical Bonding and Molecular Structure

States of Matter: Gases and Liquids

Thermochemistry and Thermodynamics: Brief Introduction, First law of thermodynamics -internal energy and enthalpy, Second law of thermodynamics, Third law of thermodynamics, Energy changes during a chemical reaction, Hess's law, Heats of reactions, entropy, free energy, spontaneity of a

chemical reaction, free energy change and chemical equilibrium, free energy as energy available for useful work.

Electrochemistry: Oxidation number and ion-electron methods, Electrolytic conduction, Kohlrausch's law and collision theory, Faraday's law, voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials, Nernst equation, commercial cells, fuel cells, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry: Colloids and Catalysis, Adsorption and Absorption, Colloids (types, preparation and properties), Emulsions, Miscelles, Catalysis (types and characteristics).

(II) Inorganic Chemistry:

Principles of metallurgical-operations: Furnaces, ore concentration, extraction, purification, metallurgies and properties of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb.

Redox Reaction

Hydrogen: Isomerism (Structural and Stereo), Bonding, Werner's Theory.

Chemical periodicity: s, p, d and f-block elements, Periodic Table, periodicity, atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity, electronegativity, metallic character, comparative study of the following families of elements- (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases. Transition metals, electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Solid State: Unit cell, Packing in solids, packing efficiency, voids, numbers of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point defects, electrical and magnetic properties, band theory of metals, conductors, semiconductors and insulators.

Chemical analysis: Chemistry involved in simple inorganic qualitative analysis, calculations based on acid-base titrimetry.

(III) Organic Chemistry:

Some basic principles and homolytic and hetrolytic fission of a covalent, radicals, carbocations, carboanions, electrophiles, and type of organic reactions, calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups, isomerism structure and shapes of alkanes and benzene, tests of organic compound.

Preparation, properties and uses of alkanes, alkenes, alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane equation, gasoline additives.

Nomenclature, Physical and chemical properties, correlation of physical properties with structure and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols. General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives.

Brief account of chemistry of cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: Classification, preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Coordination compounds : Introduction, ligands, Coordination number, color, magnetic properties and shapes, IUPAC nomenclature of mono nuclear coordination compounds, Isomerism, Warner's theory, VBT, CFT, importance of coordination compounds.

Bio-molecules: Carbohydrates- classification (Aldoses and Ketoses), Monosaccharide (Glucose and Fructose), D and L configurations oligo saccharides (Sucrose, Lactose, Maltose) polysaccharides (Starch, Cellulose, Glycogen). Proteins- elementary idea of α - amino acids, peptide bond, polypeptides, proteins, primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure (qualitative idea only), denaturation of proteins enzymes.

Vitamins - Classification and functions.

Hormones: Elementary idea

Nucleic Acid: DNA and RNA

Chemistry in everyday life: chemicals in medicines, chemicals in food -preservatives, artificial sweetening agents; cleansing agents – soaps and detergents, cleansing action.

Environmental Chemistry

अध्याय-5

प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, काउन्सलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र (उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पी.व्ही.एण्ड एफ.टी.प्रवेश परीक्षा 2023 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन काउन्सलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये आज दिनांकको निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउन्सलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जायें। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय-

1. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2023 का रोल नं. :
2. मेरिट सूची क्रमांक :
3. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा में प्राप्तांक :
4. पूरा नाम :
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
टेलिफोन/मोबाईल न.
- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति
/अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6.2 संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकी, विकलांग, ओपन):
- 6.3 आधार नम्बर :
7. मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही () का चिन्ह लगायें
(स्क्रूटनी समिति सदस्य द्वारा)

1. पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. 2023 की मूल अंक सूची।
2. अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची।
3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

Book No.	Disp No.	Date	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची। DD MM YYYY

5. चरित्र प्रमाण पत्र।

- 6 .यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप सर्टिफिकेट।

7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र

No.	Date of issue	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी., प्रमाण पत्र

9. वित्तीय वर्ष-2022-2023 (01/04/2022 से 31/03/2023 तक) आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ।
(प्रारूप-09-अ एवं 09-ब)

10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो)

11. आधार प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

काउन्सलिंग समिति द्वारा भरा जावे

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों 01 से 10 की पूर्णतः जाँच की। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है ।

सदस्य काउन्सलिंग समिति

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणोंसे काउन्सलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

अध्यक्ष, काउन्सलिंग समिति

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

शपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजाश्री
.....उम्र.....निवासी.....आजदिनांक
.....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउन्सलिंग में लिये गये निर्णय से मैं
वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर, मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

- | | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 1. | गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| | दिनांक | दिनांक |
| | नाम | नाम |
| | पूरा पता | पूरा पता |
| | टेलिफोन/मोबाईल न. | टेलिफोन/मोबाईल न. |
| 2. | गवाह के हस्ताक्षर | |
| | दिनांक | |
| | नाम..... | |
| | पूरा पता..... | |
| | टेलिफोन/मोबाईल न. | |

DECLARATION FORM

(To be submitted candidate in the college at the time of admission
FOR

Allotment of Seat in Veterinary/Fishery College

I.....

S/o,D/o,.....Resident of.....

..... Bearing Roll No.

..... have been placed at Rank Number..... in the Pre
Veterinary & Fishery Test 2023 conducted by P.E.B., Bhopal and I have opted
a Seat at College_____Course
_____ in the allotment, and have taken admission there on
dated _____

Signature of the Candidate

Name _____

Rank No. _____

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... प्रोफेशनल

एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का

नाम)..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का

नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार

श्री/कुमारी.....के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे

.....पद पर थे/थी उनका सर्विस

क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस

क्रमांक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से

विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है।
अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।
वे इस इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।

अथवा

ब- उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान.....

हस्ताक्षर : आफीसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)..... प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थान :

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांकप्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम
निवासी ग्राम/नगरवि.खं.
तहसील जिला संभाग
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
 अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है
 और यह जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के
 अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है। अतः
 श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का
 नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार
 की कुल वार्षिक आय रुपये है।
 दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

भाग (ब)

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये

जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

स्थाई प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम)
आत्मज श्री.....निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग
..... मध्यप्रदेश के निवासी है जोजाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में,
मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-
5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री(पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
.....संभागमें निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का
नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के
कालम-3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ.प्र. दिनांक 6
जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम(सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार.....
श्री(पिता) एवं श्रीमती (माता)..... के
पुत्र/पुत्री है। श्री/श्रीमती.....स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
श्री..... के/की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

2- श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का
नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान-----

हस्ताक्षर : कलेक्टर

दिनांक-----

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार /तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

विषय:- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1- | मेरा नाम | : | ----- |
| 2- | पिता/पति का नाम | : | ----- |
| 3- | जन्मतिथि | : | ----- |
| 4- | निवास का पूरा पता | : | मकान नं.....मोहल्ला.....
ग्राम/शहर का नाम.....
तहसील.....जिला..... |
| 5- | मेरी पत्नी का विवरण | : | नाम.....आयु.....वर्ष..... |
| 6- | मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण | : | (1)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..
:
(2)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..
:
(3)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष.. |

संलग्न:- शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर -----

आवेदक का नाम (-----)

लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील.....जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती.....के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज

दिनांक..... को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

शपथ-पत्र

मैं..... आत्मज/पति श्री.....

आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि -

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ ।

2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती.....एवं उम्र (लगभग).....वर्ष है ।

3. मेरे अवयस्क मेरे पुत्र/पुत्री -

(1)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

(2)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

(3)श्री/कु0.....आयु.(लगभग).....वर्ष।

4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर,2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं.....मोहल्ला.....ग्राम.....तहसील..... जिला.....में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ। मैंने संस्था..... ग्राम/शहरतहसील.....जिला..... में वर्ष..... से वर्ष.....तक शिक्षा प्राप्त की है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 ;पद्ध के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये । मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)

(2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम / मोहल्ला शहर तहसील जिला..... में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....
जिला.....में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे
नं0.....रकबा.....भू-खण्ड/मकान है । मैंउद्योग/व्यवसाय करता हूँ
। मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर..... है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 ;पपपद्ध के अनुसार
आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पति धारित करता
हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)

(4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम.....
कार्यालय का नाम.....विभाग का नाम.....के पद पर पदस्थ
हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार)

(5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित.....नामक
संस्था/निगम/मण्डल/आयोग मेंपद
पर/से.....कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार
कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं उसका पूर्ण
विवरण दें)

(6) मैं केन्द्र शासन के विभाग..... में के पद पर
.....कार्यालयतहसीलजिला के पद पर
वर्षसे पदस्थ होकर कार्यरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत
पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

(7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष.....)
अधिकारी हूँपद पर.....कार्यालय/मंत्रालय..... में
पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार
कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम)

(8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद..... (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम
राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण
विवरण दिया जाए)

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री

आयु वर्ष., निवासी..... सत्यापन करता/करती हूं कि शपथपत्र की कंडिका.....लगायत में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है।

सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... में किया गया।

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता

- जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा/तहसील जिला

प्र.क्र. /बी-121/ वर्ष

दिनांक

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति
..... निवासी तहसील जिला
.....(मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांकमें निर्धारित मापदण्ड की कड़िका क्रमांक की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है ।

- 2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांकदिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी 'अवयस्क बच्चे' जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है ।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री(1).....आयु.....वर्ष

(2).....आयु.....वर्ष

(3).....आयु.....वर्ष

(4).....आयु.....वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

- जो लागू न हो काट दें ।

आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,

.....

.....

विषय:- आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- मेरा नाम :
- 2- पिता/पति का नाम :
- 3- निवास का पूरा पता :

4- संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त

स्रोतों से मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय:-.....

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ()

(परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं ।)

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील.....

जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती..... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज

दिनांक.....को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील.....जिला.....

प्र.क्र. /बी-121/वर्ष.....

दिनांक.....

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु0.....

पिता/पति.....निवासी.....तहसील.....

.....जिला.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय
रूपये.....(शब्दों में.....)

है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला.....

सील

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो प्रोफेशनल एग्जाजिनेशन
बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का
नाम).....के आधार पर (पाठ्यक्रम का
नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप
में इस संस्था.....(संस्था का नाम) में
सत्र.....से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान :

दिनांक:

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्रीजो तहसील

..... जिलामध्यप्रदेश का निवास है, क्योंकि वह-

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त

1 उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
..... वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है
श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

क- जो विभाग में पद
पर.....(तिथि)से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

ख- जो.....विभाग में.....पद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और
जो.....(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

ग- जो.....विभाग में.....पद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते
हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

घ- जो.....विभाग में.....पद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान -----

कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक-----

.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवास संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण पत्र

प्रारूप-13

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
जो प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है जो दिनांक 1 जनवरी 2023 को अथवा उसके पूर्व की तिथि..... से मध्यप्रदेश में स्थित विभाग में..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान -----

कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक-----

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप -14

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... ..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है, यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान -----

हस्ताक्षर : कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक-----

.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप - कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक / /

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नामके

माता/पिता/श्रीमती/श्री वास्तविक, कार्यरत स्थाई किसान हैं ।

उनके पास हेक्टेयर गांव0

.....तहसील जिला

राज्य मध्यप्रदेश में है।

वे कार्यरत वास्तविक कृषक हैं तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा वे खेती के अतिरिक्त

नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं हैं।

तहसीलदार

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम

ने पांचवी, आठवी, दसवी एवं बारहवीं कक्षाओं में से निम्न दो कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में

ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न दो परीक्षायें : ग्रामीण क्षेत्र के

निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की हैं।

शाला का नाम एवं स्थान/परीक्षा केन्द्रों का नाम (कोई दो)

1. पांचवी कक्षा(प्राथमिक)

2. आठवीं कक्षा(माध्यमिक)

3. दसवीं कक्षा(मैट्रिक/हाई स्कूल)

4. बारहवीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान.....

दिनांक.....

तहसीलदार/विकासखंड अधिकारी

(सामान्य प्रशासन विभाग का जापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019
का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....

दिनांक.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री..... ब्राम/कम्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....

तहसील..... जिला..... राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
- II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
- III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

M.P. Employee Selection Board

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

प्रारूप-18

Predefined Template

फोटो / Photo

हस्ताक्षर / Signature

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- Box-2**
- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों **en vFlOk vaxstH ds y/lq gLrk(kj eW; ugha gkxS A** (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
 - (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

Box-1

- फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए
- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

I gefr i æk.k&i =

प्री० वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट (PV& FT) - 2023

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा प्री० वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट (PV& FT) - 2023 के लिए तैयार की गई नियमपुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियम व जानकारी की पुष्टि व सहमति प्रदान की जाती है तथा अध्याय-1 से 5 तक में दी गई समस्त जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए यह विभाग जवाबदेह होगा। तैयार नियमपुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तदनुसार यह सहमति प्रमाण-पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :.....

पदनाम :.....

सील :.....

मो.न. :.....
